उपस्थित– श्री बिनोद कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश–17, भोजपुर, आरा (बिहार)
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–663 / 2026
(आरा नगर थाना काण्ड संख्या–719 / 2025)

बिनित कुमार सिंह एवं अन्य .....आवेदक / अभियुक्तगण
बनाम
बिहार राज्य .....विपक्षी

10.04.2026 आवेदक / अभियुक्तगण 1. बिनित कुमार सिंह, 2. रेणु देवी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर, जो आरा नगर थाना काण्ड संख्या–719 / 2025 अंतर्गत धारा–191(2), 190, 126(2), 115(2), 118(1), 117(2), 109, 76, 303(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. में अभियुक्त है, पर उभय पक्षों को सुना।

आवेदक / अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता सरदार बिरेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुये यह कथन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम अथवा नियमित जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक / अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष हैं, उनके द्वारा कोई घटना कारित नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा जैसा अभिकथित है, वैसी कोई घटना उक्त स्थल पर नहीं हुई है, बल्कि अभियोजन का पुरा मामला झूठा वो बनावटी है। आवेदकगण के उपर कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है, बल्कि जो भी आरोप है वो सामुहिक है। आवेदकगण के द्वारा जमानत का दुरूपयोग करने की कोई संभावना नहीं है। अंततः निवेदन किया गया है कि आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान् अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि सूचक सेना में नौकरी करता है तथा अवकाश में घर आया था। दिनांक–25–11–2025 को सूचक के साथ उसके ही गॉव के प्रदीप नारायण सिंह, विनित सिंह एवं रेणु देवी के द्वारा मार–पीट किया गया था, जिसके संबंध में सूचक ने नगर थाना तथा डी.एस.पी. के पास आवेदन दिया था, जिसकी सूचना अभियुक्तगणों को हो गई। पुनः दिनांक–27–11–2025 को 8.00 से 9.00 सुबह प्रदीप नारायण सिंह, बिनित सिंह, सोनु सिंह, सुभम सिंह, पुष्कर कुमार अपने–अपने हाथ में रड लिये हुये सूचक के घर में घुस गये और प्रदीप नारायण सिंह ललकारते हुये बोला कि साले का सारा सामान लूट लो। उसके ललकारने पर सभी अभियुक्तगण सूचक के घर में रखा करीब तीन लाख का जेवर तथा अस्सी हजार रूपया तथा दो सूटकेस एवं पीतल का बर्तन ले गये, जिसका विरोध सूचक की पत्नी रम्भा देवी ने किया तो सभी अभियुक्तगण मिलकर उसे बेरहमी से मारे–पीटे तथा निर्वस्त्र किया, जिससे उसे कई जगहों पर चोटे आई। सूचक की पत्नी के गुप्त अंग पर हाथ लगाया। फिर सूचक की पत्नी ने सूचक के पास फोन किया कि हमारे घर का सारा सामान लूट लिया गया है तथा उसे निर्वस्त्र कर दिया गया है। सूचक दूकान मे कुछ सामाग्री लेने गया था तो सूचक भागकर आ ही रहा था कि सूचक के साथ उसका पुत्र हरेन्द्र कुमार भी था। सूचक तथा उसके पुत्र को सिन्हा रोड पर प्रदीप ललकारते हुये बोला कि यह हजाम नौकरी करता है इसका काफी मन बढ गया है इतने पर विनित सिंह, सोनु सिंह, सुभम सिंह, पुष्कर सिंह तथा और पॉच अज्ञात लोग सूचक एवं उसके पुत्र के उपर रड, डंडा तथा तेज हथियार से इनको मारने के लिए टुट पड़े। सूचक तथा उसके पुत्र का हाथ पैर तथा छाती को तोड़ दिया। सूचक तथा उसके पुत्र के शरीर पर काफी चोटें आई। उसी समय आरा थाना की गाड़ी आई। दरोगा पवन सिंह सूचक को थाना की गाड़ी पर लादकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सूचक की

उपस्थित– श्री बिनोद कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश–17, भोजपुर, आरा (बिहार)
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–663 / 2026
(आरा नगर थाना काण्ड संख्या–719 / 2025)

बिनित कुमार सिंह एवं अन्य .....आवेदक / अभियुक्तगण
बनाम
बिहार राज्य .....विपक्षी

लगातार
10.04.2026

पत्नी रम्भा देवी घर से सदर अस्पताल आ रही थी तो रास्ते में रोककर रेनु देवी, सीमा देवी, पम्मी देवी, सुमन देवी गले का लॉकेट चेन तथा कान का बाली नोच लिये।

उभय पक्षों को सुना तथा काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले की प्राथमिकी अपराध की धारा–191(2), 190, 126(2), 115(2), 118(1), 117(2), 109, 76, 303(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत संस्थित की गई है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–1 में वादी का पुनः बयान है तथा कंडिका–9, 11, 12 में साक्षियों का बयान है, जिसमें उन्होंने प्राथमिकी की घटना का समर्थन किया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–38 में जख्मी जितेन्द्र ठाकुर एवं हरेन्द्र ठाकुर के जख्म प्रतिवेदन का उल्लेख है, जिसमें जख्मी जितेन्द्र ठाकुर के जख्मों को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का बताया गया है तथा जख्मी हरेन्द्र ठाकुर के जख्म को गंभीर प्रकृति का बताया गया है परन्तु जख्म प्रतिवेदन के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि जख्मियों को कारित जख्म उनके किसी मर्मस्थल पर नहीं है। आवेदकगण के उपर कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है, बल्कि सामुहिक है। आवेदकगण की ओर से आरा नगर थाना काण्ड संख्या–711 / 25 के प्राथमिकी की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्षों के बीच में रास्ते को लेकर पूर्व से विवाद है तथा दोनों पक्षों द्वारा एक दुसरे के उपर केस किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलतः आवेदक / अभियुक्तगण द्वारा चार सप्ताह के अंदर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर अथवा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर आवेदक / अभियुक्तगण को प्रत्येक के द्वारा 15,000 / – रूपये का बंध पत्र एवं समतुल्य राशि के दो–दो जमानतदारों का जमानत बंधपत्र समर्पित करने पर बि0एन0एस0एस0, 2023 की धारा–482(2) में वर्णित शर्तो के अंतर्गत उसे निम्न न्यायालय की संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(बिनोद कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश–17
भोजपुर, आरा।
10.04.2026